न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी :– **अशोक असीजा आर.ए.एस.**

प्रकरण संख्याः 01/2018

अनवानः–राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ।

– प्रार्थी

बनाम

1 श्री कुलदीप उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं. 23 अस्थाई व वार्ड नं0 16 रावतसर वार्ड नं. 11 राजकीय समाज कल्याण छात्रावास के पास रावतसर।

अप्रार्थी

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः– 1 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता।
2 श्री छगन लाल सिडाना अभिभाषक अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

दिनांकः–20.9.2019

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया । जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि श्री कुलदीप उचित मूल्य दुकानदार की उचित मूल्य की दुकानों का दिनांक 19.12.17 को निरीक्षण किया गया। दोनों उचित मूल्य दुकानों के स्टाक की जांच करने पर तीन किलो गेहूं स्टाक में होना अपेक्षित था किन्तु दुकान पर रखी सामग्री का भौतिक सत्यापन करने पर कुल 50 क्विंटल गेहूं आपेक्षित स्टाक से अधिक पाया गया। इस प्रकार स्टाक में कुल 49.97 क्विंटल गेहूं अधिक होने पर गेहूं जब्त किया गया। उक्त गेहूं जब्त कर क्रय विक्रय सहकारी समिति रावतसर को सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लाज 6 एवं पीडीएस कन्ट्रोल आर्डर 2001 के प्रावधानों का उल्लंघन कर गम्भीर अपराध किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रकरण में जब्त गेहूं को राजसात करने की कृपा करें तथा उक्त सामग्री का अन्तरिम निस्तारण करने का आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गयी । अप्रार्थी जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये व अपना जबाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि वार्ड नं0 16 की उचित मूल्य दुकान का दिनांक 01.9.16 को प्रारम्भिक स्टाक 19 क्विटल 50 किलो व वार्ड नं. 16 की दुकान हेतु रावतसर क्रय विकय सहाकारी समिति लि0 से दिनांक 08.11.16 को 20 क्विंटल गेहूं प्राप्त की गयी एवं 50 किलो गेहूं दिांक 18.10.16 को आस्था के अर्न्तगत प्राप्त की गयी। इस प्रकार वार्ड नं0 16 की दुकान पर 40 क्विंटल गेहूं शेष रही। माह जून 2017 में क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 रावतसर से 36 क्विंटल गेहूं जरिये बिल नं0 216 प्राप्त की गयी लेकिन आनलाईन 35 किलो 95 किलो दर्ज की गयी। इस प्रकार डीलर के पास 40 क्विंटल 5 किलो गेहूं शेष रही है जिसमें से 5 किलो गेहूं छिज्जत में चली गयी। इस प्रकार डीलर के पास 40 क्विंटल गेहूं शेष रही। दिनांक 01.9.16 को वार्ड नं. 19 की दुकान में प्रारम्भिक स्टाक 9 क्विटल 45 किलो गेहूं शेष रहा एवं क्रय विकय सहाकारी समिति लि0 से आस्था योजना के अर्न्तगत 50 किलो गेहूं दिनांक 18.10.16 को प्राप्त की गयी । माह जनवरी 2017 में क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 रावतसर से जरिये बिल नं0 564 कुल 84 क्विंटल 55 किलो गेहूं प्राप्त की लेकिन आनलाईन 84 क्विंटल 15 किलो दर्ज

हुई एवं इसी प्रकार माह जून 2017 में जरिये बिल नं0 269 कु 79 क्विंटल गेहूं प्राप्त की गयी लेकिन आनलाईन 79 क्विंटल 35 किलो दर्ज हो गयी की गयी। इस प्रकार 35 किलो गेहू अधिक दर्ज कर दी गयी। दोनों बिलों का विवरण निकालने पर 5 किलो गेहूं कम दर्ज हुई। समस्त बिलों का विवरण निकालने पर वरवक्त निरीक्षक वार्ड नं. 19 की दकान पर 10 क्विंटल गेहूं शेष रही जिसमें से 9 क्विंटल 97 किलों गेहूं जब्त कर ली गयी व 3 किलों गेहूं दुकान में शेषहै। इस प्रगकार डीलर द्वारा कोई गबन नहीं किया गया है। प्रार्थी पूर्ण रूप से सद्भावी है। प्राथी ने राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक वस्तुत पदार्थ(वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के किसी नियम अथवा अनुज्ञापत्र की शर्त एवं पीडीएस कन्ट्रोल आदेश 2001 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है। वरवक्त निरीक्षण प्रार्थी ने निरीक्षणकर्ता के समक्ष असल स्टाक रजिस्टर व बिल प्रस्तुत किये लेकिन इनका अवलोकन किये बिना ही मिथ्या रूप से प्रकरण बनाकर 49.97 क्विंटल गेहूं जब्त कर ली गयी जो कतई गलत रूप से जब्त की गयी है। अतः जब्त शुद्धा गेहूं मय बारदाना प्रार्थी को वापिस लौटाई जावे।

अप्रार्थी के जबाब के संबंध में जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ से रिपोर्ट तलब की गयी। जो उनके पत्रांक 10287 दिनांक 22.8.2019 से इस इस न्यायालय को प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गयी।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क किया कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके पर जब्त की गयी गेहूं नियमानुसार जब्त की गयी है। इस प्रकार अप्रार्थी का जबाब अस्वीकार फरमाया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में जबाब मे अंकित तथ्यों का समर्थन करते हुए तर्क किया कि अप्रार्थी के स्टाक में गेहूं विधिवत सही रूप से दज थी परन्तु प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा स्टाक रजिस्टर व बिलों का सही रूप से अवलोकन नहीं कर गलत रूप से प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। इसलिए जब्त गेहूं अप्रार्थी को दिलवाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उचित मूल्य दुकानदार से निरीक्षण के दौरान 49.97 क्विंटल गेहूं अधिक होने पर जब्त की गयी व प्रकरण आवश्यक वस्तुत अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब के संबंध में जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ से स्थिति स्पष्ट करने बाबत रिपोर्ट तलब की गयी। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ की रिपोर्ट दिनांक 22.8.19 के अनुसार स्थिति इस प्रकार बनती है:–

वार्ड नं0 16 रावतसर:–	स्टाक रजि0 अनुसार पूर्व का स्टाक	– 19.50 क्विंटल
	प्राप्त गेहूं की मात्रा	– 706.65 क्विंटल
	कुल गेहूं	– 726.15 क्विंटल
	वितरित गेहूं	– 686.10 क्विंटल
	शेष गेहूं	– 40.05 क्विंटल

वार्ड नं. 19 रावतसर:–	स्टाक रजि0 के अनुसार पूर्व का स्टाक–	– 9.45 क्विंटल
	अनिता देवीउ.मू.दु. गंधेली से स्थानातरण फलस्वरूप प्राप्त गेहूं–	–185 क्विंटल
	सेवा विकय सहकारी समिति से प्राप्त गेहूं की मात्रा	– 934.45 क्विंटल
	कुल गेहूं	– 1128.90 क्विंटल
	वितरित गेहूं	– 1118.87 क्विंटल
	शेष गेहू	– 10.03 क्विंटल

इस प्रकार निरीक्षण दिनांक 19.12.17 को कुल शेष गेहूं 40.05 क्विंटल व 10.03 क्विंटल कुल 50.08 क्विंटल भौतिक सत्यापन में पाया गया गेहूं 40 क्विंटल व 10 क्विंटल क 50 क्विंटल है।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ से प्राप्त उक्त प्रतिवेदन के अनुसार उचित मूल्य दुकानदार के स्टाक में उपलब्ध व वितरित गेहूं सही मात्रा में पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया प्रार्थना अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

अतः प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रमाणित नहीं होने से खारिज किया जाता है। जब्त शुद्धा गेहूं जो वरवक्त निरीक्षण क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 रावतसर को सुपुर्द किया गया था उसको अप्रार्थी कुलदीप उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं. 23 अस्थाई व वार्ड नं. 16 रावतसर को लौटाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक असीजा)
अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official